भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1695

10.03.2025 को उत्तर के लिए

वन भूमि का अपवर्तन

1695. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनेतर गतिविधियों हेतु वन भूमि का उपयोग किए जाने के बदले अब तक एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वन-क्षेत्र के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य की अब तक कितनी प्राप्ति हुई है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वनरोपण के लिए एकत्र की गई राशि का राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक में, ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर कर्नाटक में वन क्षेत्र और इसकी सघनता में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एकत्र की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तदर्थ काम्पा की स्थापना के बाद से वन भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए अपवर्तन की एवज में विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक शुल्क के रूप में दिसंबर 2024 तक 94,843.60 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इन प्रतिपूरक शुल्कों का उपयोग वन भूमि और पारि-प्रणाली सेवाओं के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। ये निधियां भारत के लोक लेखा और संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लोक लेखा में रखी जाती हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का न्यूनतम एक-तिहाई वन अथवा वृक्ष आवरण के अंतर्गत और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्र को ऐसे आवरण के अंतर्गत लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, भारत में वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल अनुमानित 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वन आवरण 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है जबकि वृक्षावरण 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान एकत्रित प्रतिपूरक शुल्कों में से 17,819.27 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग वनीकरण और संबंधित कार्यकलापों पर किया गया है। कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार सूचना **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ङ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों सहित किसी भी राज्य में वनावरण और वनों की सघनता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कोई निधि एकत्र नहीं की है।

***

अनुलग्नक-I

'वन भूमि का अपवर्तन' के संबंध में श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी द्वारा दिनांक 10.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1695 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक**

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान वनीकरण और संबंधित कार्यकलापों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा काम्पा के तहत उपयोग की गई निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपयोग की गई निधि (करोड़ रु में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.6
2.	आंध्र प्रदेश	349.62
3.	अरुणाचल प्रदेश	614.77
4.	असम	251.24
5.	बिहार	107.45
6.	चंडीगढ़	6.77
7.	छत्तीसगढ़	2624.66
8.	दिल्ली	25.03
9.	गोवा	72.38
10.	गुजरात	565.54
11.	हरियाणा	411.37
12.	हिमाचल प्रदेश	248.04
13.	जम्मू और कश्मीर	453.37
14.	झारखंड	770.5
15.	कर्नाटक	857.88
16.	केरल	24.16
17.	लद्दाख	39.69
18.	मध्य प्रदेश	2228.08
19.	महाराष्ट्र	1243.49
20.	मणिपुर	67.94
21.	मेघालय	43.975
22.	मिजोरम	33.76
23.	ओडिशा	2606.64
24.	पंजाब	385.42
25.	राजस्थान	633.77
26.	सिक्किम	202.8
27.	तमिलनाडु	25.95
28.	तेलंगाना	1156.81
29.	त्रिपुरा	79.05
30.	उत्तर प्रदेश	761.71
31.	उत्तराखंड	863.5
32.	पश्चिम बंगाल	57.3
	कुल	**17819.27**

***